(7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा मु. भीनमाल जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी – दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण सख्या – 04/2017

प्रार्थीगण :–

1. मणाराम पुत्र सेसाराम
2. छगनाराम पुत्र सेसाराम
3. प्रभुराम पुत्र सेसाराम
4. लीलाराम पुत्र सेसाराम
5. डूंगाराम पुत्र सेसाराम
6. लेरीदेवी पत्नी सेसाराम

जातियान भील निवासीगण चांदूर तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. इन्द्रकंवर पत्नी स्व. गुमानसिंह
2. वीरसिंह पुत्र गुमानसिंह
3. हरीसिंह पुत्र गुमानसिंह संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता इन्द्रकंवर पत्नी स्व. गुमानसिंह
4. प्रतापसिंह पुत्र मगसिंह
5. भीखसिंह पुत्र मगसिंह
6. कानसिंह पुत्र मगसिंह
7. माधुसिंह पुत्र मगसिंह
8. फूलबाई पत्नी मगसिंह
9. रणसिंह पुत्र भोमसिंह
10. छैलसिंह पुत्र भोमसिंह
11. नगसिंह पुत्र भोमसिंह
12. तारबाई पत्नी भोमसिंह
13. ईश्वरसिह पुत्र जब्बरसिंह
14. मनोहरसिंह पुत्र जब्बरसिंह
15. अमरसिंह पुत्र जब्बरसिंह
16. सोवनबाई पत्नी जब्बरसिंह संख्या 13, 14, 15 नाबालिग जरिये कुरदती वलिया माता सोवनबाई पत्नी स्व. जब्बरसिंह
17. मालसिंह पुत्र चिमनसिंह
18. किशोरसिंह पुत्र चिमनसिंह
19. नरपतसिंह पुत्र चिमनसिंह
20. भूरसिंह पुत्र चिमनसिंह
21. कल्याणसिंह पुत्र चिमनसिंह
22. मोहबतसिंह पुत्र चिमनसिंह
23. ताजबाई बेवा चिमनसिंह
24. बलवंतसिंह पुत्र झालसिंह
25. पुनबाई पत्नी लक्ष्मणसिंह (फोत)
26. **मूलसिंह पुत्र भूरसिंह**
27. **उम्मेदसिंह पुत्र भूरसिंह**

उपखण्ड अधिकारी,
जसवन्तपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner

28. जगमाल कंवर पुत्री भूरसिंह
29. भाणीकंवर पुत्री भूरसिंह
30. ठीमरकंवर पुत्री भूरसिंह संख्या 27 व 30 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पवनबाई पत्नी स्व. भूरसिंह
31. पवनबाई पत्नी स्व. भूरसिंह
32. डूंगरसिंह पुत्र हबतसिंह
33. शैतानसिंह पुत्र हबतसिंह
34. पीरसिंह पुत्र हबतसिंह
35. लीलबाई पत्नी हबतसिंह जातियान राजपुत निवासीगण चांदूर तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
36. प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा रामसीन
37. भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक : 22.2.18

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क का पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा चांदूर के खसरा नम्बर 1347 किस्म गै.मु. बेरा, 1348 किस्म जा.दो. चा.दो. रकबा 2.17 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण के अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। प्रार्थीगण को कृषि भूमि सरहद मौजा चांदूर के खसरा नम्बर 1347 किस्म गै.मु. बेरा, 1348 किस्म जा. दो. चा.दो. रकबा 2.17 हैक्टेयर में जाने के लिये मौजा चांदूर के वर्तमान खसरा नम्बर 1352 रकबा 0.90 हैक्टेयर व 1354 रकबा 2.03 हैक्टेयर की खातेदारी के बीच में स्थित खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.06 किस्म गैरमुनकिन रास्ता को नये सार्वजनिक रास्ते के रूप में नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार घोषित करने व प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध करवाने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार जसवंतपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार जसंवतपुरा की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 1347, 1348 में आने जाने हेतु सार्वजनिक रास्ता चाहा है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1353 जो अप्रार्थीगण इन्द्रकंवर की खातेदारी है, को रास्ता दर्ज हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.06 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। वर्तमान में खसरा नम्बर 1353 में खरीफ फसल मूंग, बाजरी बो रखी है। वर्तमान में यह मार्ग बंद है। प्रार्थीगण वर्तमान में खेत खसरा नम्बर 1367 रकबा 2.12 हैक्टेयर बारानी दोयम जिसके खातेदार रतना वल्द पुनमा कौम भील सा. देह खातेदार (रहन एस.बी.बी.जे. एडीबी भीनमाल) मे से आवागमन करता है जिसके मौके पर निशानात मौजूद है। अर्थात मौके पर रास्ते के निशान मौजूद है। तथा निकटतम रास्ता भी उक्त खसरा नम्बर से ही है। प्रस्तावित रास्ता की लम्बाई 130 मीटर है जो ए से बी दर्शाया है। निकटतम एवं वर्तमान में सुचारू रास्ता की लम्बाई 86 मीटर है जो सी से डी दर्शाया है। प्रस्तावित रास्ता जिसके खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.06 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता है जो ए से बी है जो शालम नम्बर है। निकटतम एवं वर्तमान मौजूद रास्ता की लम्बाई 86 मीटर एवं चौडाई 6 मीटर 516 वर्गमीटर यानि 0.0516 हैक्टेयर है जो सी से डी है जो अन्य प्रस्तावित रास्ता

उपखण्ड अधिकारी,
जसवन्तपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner

है। जो खसरा नम्बर 1367 मे है। अन्य प्रस्तावित रास्ता उक्त खसरा नम्बर के पश्चिम माठ की तरफ है।

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत पुनः मौका निरीक्षण रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार से निरीक्षण करवाकर तलब करने का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का रास्ता खसरा नम्बर 1352 व 1354 के बीच में स्थित रास्तानुमा भूमि खसरा नम्बर 1353 प्रार्थीगण के आराजी के नजदीक दूरी का रास्ता है। खसरा नम्बर 1353 गैर मुमकिन रास्ता है मगर वर्तमान में उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खाते मे दर्ज है। हम प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से अप्रार्थीगण आवागमन नही करने दे रहे है। हमारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1348 में आने जाने के लिए उक्त रास्ता नजदीक दूरी का रास्ता है जबकि भू निरीक्षक चान्दूर व हल्का पटवारी चान्दूर द्वारा एक तरफा मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण की गैर हाजिरी में तैयार कर पेश की है, उक्त मौका रिपोर्ट में नदी मे से रास्ता चालू बताया है क्योंकि नदी मे से कोई रास्ता मौजूद नही है एवं बरसात के दिनों में इस नदी मे पानी का बहाव ज्यादा रहता है, जिससे आवागमन संभव नही है एवं मौका रिपोर्ट मे बताये गये रास्ते की दूरी भी प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से अधिक है। मौका रिपोर्ट मे बताये गए रास्ते से प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधाजनक है।

प्रकरण में अप्रार्थी नम्बर 1, 4, 9, 10, 17, 19, 24, 31, 32, 33 की तरफ से जवाब पेश कर उल्लेख किया कि प्रार्थीगण को अपने खेत मे आने जाने का पहले से रास्ता मौजुद है जो कदीमी से वे अपने खेत में जाते है जो रास्ता हल्का तहसीलदार साहब कि मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1367 में मार्क सी से डी के रूप में बताया है एवं वर्तमान मे यह रास्ता चालू है एवं यही रास्ता निकटतम रास्ता है एवं इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने खेत में आते जाते है, जबकि इस रिपोर्ट में जो प्रत्तावित रास्ते के रूप में बताया गया है जो खसरा नम्बर 1354 से होकर दर्शाया गया है वह अप्रार्थीगण की खातेदारी है एवं धारा 251 के तहत नया रास्ता तभी दिलाया जा सकता है जब प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद न हो लेकिन इस प्रकरण में प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का वास्तविक रास्ता मौजूद है एवं उसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने खेत में आ जा रहे है। एवं वर्तमान में उक्त मार्क सी से डी वाला रास्ता आवागमन हेतु चालू है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र अप्रार्थीगणो को हैरान परेशान करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। एवं राजस्व कर्मचारी एवं अधिकारी के विरूद्ध बेहद गंभीर व अपमानजनक आरोपो को लगाया गया है जिसमें तनिक भी सच्चाई नही है। उक्त प्रार्थना पत्र द्वेषभाव से किया गया है जिसे मय खर्चा खारीफ फरमावे।

प्रकरण में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र बाबत पुनः मौका निरीक्षण रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार से निरीक्षण करवाकर तलब करने पर दोनो पक्षो के सूनने के पश्चात प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुनः मोका निरीक्षण रिपोर्ट तहसीलदार जसवंतपुरा से प्राप्त की गई। तहसीलदार जसंवतपुरा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के मौजा चांदूर में खसरा नम्बर 1347 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1348 रकबा 2.14 जुमले रकबा 2.17 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.06 किस्म गै.मु. रास्ता वाली भूमि को रास्ते हेतु चाहा गया है, जो अप्रार्थीगण इन्द्रकंवर पत्नी गुमानसिंह वगैरह राजपुत का है। चूंकि प्रस्तावित भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता ही है। अतः प्रार्थीगण को देना उचित रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी,
जसवन्तपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner

प्रकरण मे दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया बहस पर मनन किया व प्रकरण का भंलिभाति अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1347, 1348 में आने जाने के लिये मौजा चांदूर के वर्तमान खसरा नम्बर 1352 व 1354 की खातेदारी के बीच में स्थित खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म गैर मुनकिन रास्ता को नये सार्वजनिक रास्ता के रूप में परिशिष्ट अ अनुसार चाहा गया है। तहसीलदार जसवंतपुरा की पूर्व जांच रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 1347 एवं 1348 में जाने हेतु दो रास्ते बताये गये एक रास्ता खसरा नम्बर 1367 मे से बताया गया है एवं दूसरा रास्ता खसरा नम्बर 1353 मे से बताया गया है। तथा पुनः मौका जांच मे खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.06 किस्म गै.मु. रास्ता को प्रार्थीगण को देना उचित होना अवगत कराया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 1367 मे से जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है वह रास्ता नदी मे मौजूद रास्ता मे से होकर गुजरता है, उक्त रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु मौजा चांदूर के वर्तमान खसरा नम्बर 1352 व 1354 की खातेदारी के बीच में स्थित खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.06 किस्म गैर मुनकिन रास्ता को नये सार्वजनिक रास्ता के रूप में परिशिष्ट अ अनुसार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं मौजा चांदूर के खसरा नम्बर 1347 एवं 1348 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता को परिशिष्ट अ मे दर्शाये अनुसार राजकीय रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त घोषित किये गये रास्ते की डी.एल.सी. दर 220900/–रूपये प्रति हैक्टेयर से 0.06 हैक्टेयर की राशि रूपये 13254/– बनती है जिसकी दुगनी राशि रूपये 26508/– निर्धारित की जाती है। प्रार्थीगण उक्त राशि की डी.डी./बैंकर चैक द्वारा तहसीलदार जसवंतपुरा के माध्यम से अप्रार्थीगण को अदा करे। तत्पश्चात तहसीलदार जसवंतपुरा राजस्व रेकर्ड मे नियमानुसार राजस्थान सरकार के हक मे उक्त रास्ता दर्ज करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जसवंतपुरा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/2/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दौलतराम चोधरी)
उपखण्ड अधिकारी
जसवन्तपुरा (जालोर)
उपखण्ड अधिकारी
जसवंतपुरा

उप खण्ड अधिकारी जसवन्तपुरा जालोर (राज.) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner